

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान) वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

दूरभाष/Tele: (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax: (0734) 2502253 E-mail: msrvvpujn@gmail.com, Web: www.msrvvp.ac.in

- निविदा प्रपत्र -

वर्ष 2022-23 हेतु प्रतिष्ठान द्वारा संचालित श्रीजगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी में केन्द्रीय संस्कृत विश्व विद्यालय, सदाशिव परिसर, पुरी (ओडिशा)

कार्य का नामः - सुरक्षा व्यवस्था के लिए

निविदा की अंतिम तिथि	:	17 दिसम्बर, 2022 शनिवार, सायं 5:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	19 दिसम्बर, 2022 सोमवार, प्रातः 11:00 बजे तक
सेवा/कार्य की अनुमानित लागत राशि	:	रू. 15 ,00,000/- (लगभग)
		रूपये पन्द्रह लाख रुपये मात्र
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा/समयाविध	:	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता	:	
(दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)		

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्ते

अ. निम्न पत्र /प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें :-

- 1. भारत सरकार द्वारा बिंड भरते समय जमा करने वाली धरोहर राशी में दी गई छूट के बदले संस्था द्वारा शपथपत्र भरना अनिवार्य है। शपथपत्र के अभाव में निविदा निरस्त मानी जाएगी। शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 2. निविदाकार को पुलिस विभाग से जारी सुरक्षा एजेन्सी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
- 3. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण-पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण-पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण-पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
- 4. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
- 5. निविदाकार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 (असेसमेंट वर्ष 2021-22) में जमा आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6. GST विभाग से जारी GST नम्बर की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
- 7. सितम्बर 2022 माह में भरे गए GST रिटर्न की छायाप्रति।
- 8. पी.एफ. एवं ई.पी.एफ. से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- 9. समस्त निविदादाताओं को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
- 10. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
- 11. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।
- 12. निविदा निम्नलिखित अनुसार अलग-अलग प्रेषित करें:-
- क) तकनीकि बोली उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ स्केन कापी अपलोड कर मूल (original) प्रति निविदा के खूलने के पश्चात् L1 आने पर प्रतिष्ठान कार्यालय को जमा करना अनिवार्य होगा।
- ख) वित्तीय बोली प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में दरें अंकों एवं शब्दों में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएँ। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट या (overwriting) मान्य नहीं होगी।

ब. निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जायेगी :-

- 1. भारत सरकार / जेम पोर्टल द्वारा संस्था को L1 होने पर उसे कार्यादेश जारी किया जाएगा । संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में संस्था को 3 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ।
- 2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख नहीं किया जावे।
- 3. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग, ओवर राईटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 4. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

स. अन्य जानकारियाँ :-

- 1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होना आवश्यक है। अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या जवाबदेही प्रतिष्ठान की नहीं होगी।
- 2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जायेगी। माँगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही फाइनेंसियल बिड खोली जायेगी। तकनीकी बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली खोले बिना ही सम्बन्धित निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थित में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 3% धनराशि का A/c Payee D.D. या FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से 60 दिन अधिक अविध तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
- 4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
- 5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिनों बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
- 6. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी। इस सम्बन्ध में प्रतिष्ठान का आदेश बंधनकारी होंगे।
- 7. निविदा अविध में आवश्यकता पडने पर सुरक्षा गार्डों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। अतः तद्रुसार तुरन्त व्यवस्था करनी होगी।
- 8. ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मी को ड्यूटि स्थल तक आने जाने का किसी प्रकार का स्थानीय प्रभार भुगतान नहीं होगा।
- 9. भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा कार्य सम्बन्धित स्वीकृत समस्त कानूनों अधिनियमों के पालन का सम्पूर्ण दायित्व एजेंसी का होगा।
- 10. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 11. बिल का भुगतान RTGS/PFMS द्वारा निविदा में नामित फर्म के नाम से जारी किया जायेगा।
- 12. कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। निविदा में दिये गये कार्य के अनुरूप कार्य न पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा।
- 13. बिल राशि से नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी । टीडीएस कटौती से सम्बन्धित कर (टैक्स) जमा होने के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
- 14. निविदा में निर्धारित न्यूनतम दूर पर कार्य करना स्वीकार किया जायेगा।
- 15. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं अतः निविदाकार दो कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा।
- 16. आवश्यक होने पर GST जमा करने की जबाबदारी निविदाकार फर्म की होगी।
- 17. समस्त सरकारी विभागों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।
- 18. निविदा की अवधि एक वर्ष के लिए है। कार्य सन्तोषजनक होने पर निविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- 19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रतिष्ठान के माननीय सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 20. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिए माननीय उच्च-न्यायालय क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.) ही रहेगा।
- 21. भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाएँ यथा आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी कर्मचारियों का बीमा कवर किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निविदा स्वीकृत एजेंसी स्वयं जिम्मेदार रहेगी।

द. सुरक्षा कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम :-

- 1. कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की सूची मय जीवनवृत्त (बायोडाटा) के साथ प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। परिचय-पत्र जारी कर गार्ड के पास उपलब्ध होना चाहिए। बदली की स्थिति में सूची अद्यतन करना होगा।
- 2. समस्त कर्मचारियों का पुलिस से सत्यापन का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है।
- 3. कार्य पर लगाए गये कर्मचारियों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं बीमा आदि जमा करने की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी तथा जमा करवायी गई राशि के चालान की प्रति प्रतिमाह पर प्रतिष्ठान में जमा करवानी होगी। ई.पी.एफ. के नवीन नियमानुसार पीएफ जमा करना होगा।
- 4. सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन विधिवत प्रशिक्षित तथा अच्छे स्वस्थ एवं हृष्टपुष्ट होने चाहिए। इनकी आयु सीमा 21-55 वर्ष तक होनी चाहिए। बाल मजदूरी सख्त मना है।

ई. निविदा स्वीकृत होने पर:

- 1. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (Minimum Wages Act) ही कर्मचारियों को वेतन देय होगा। न्यूनतम वेतन से कम दर होने पर निविदा निरस्त मानी जाएगी। भारत सरकार के नियमानुसार/ जेम पोर्टल द्वारा L1 निर्णय होने पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर (Minimum Wages Act) ही भुगतान किया जाएगा।
- 2. एजेन्सी द्वारा कार्य पर लगाये गए सभी कर्मचारियों का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक जवासिया में खोलना होगा।
- 3. एजेन्सी को 7 तारीख से पूर्व में अपने कर्मचारियों को वेतन स्वयं RTGS द्वारा प्रेषित करना होगा। तदुपरान्त शाखा से प्राप्त वेतन को दर्शाए गए प्रति, EPF, ESI आदि का प्रमाणित प्रति एवं UAN संख्या सिंहत प्रस्तुत करने पर सभी बिल सही पाये जाने पर प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान की प्रतिपूर्ति सामान्य परिस्थित में 30 दिन के अन्दर की जाएगी। (1) कर्मचारी खाते में भुगतान किये गये राशि, (2) EPF, (3) ESI, (4) अन्य पूर्ण विवरण का एक पत्र में दर्शाना आवश्यक है। वैधानिक भुगतान की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की ही रहेगी।
- 3. आपके द्वारा कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान एवं प्रतिष्ठान द्वारा आपके पूर्व में प्रेषित किये गये बिल का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा। आपके बिल में किसी प्रकार की त्रुटी या किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा बिल भुगतान में विलम्ब होने पर भी आपको अपने कर्मचारियों को 3 (तीन) माह तक नियत समय से भुगतान करना होगा।
- 4. प्रतिष्ठान के द्वारा जारी नियमावली अनुलग्न में उल्लिखित है। एजेन्सी नियमावली उल्लिखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- 5. एजेन्सी के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों का नियमित और समय पर (काम करने के माह के उपरान्त अगले महीने 7 तारीख़ से पहले) वेतन भुगतान करना होगा। कर्मचारियों से किसी भी तरह से अधिक अन्य शुल्क जबरन वसूली करने पर धारा 383-389 एवं Prevention of Money Laundering Act, 2002 के धारा-3 (सेक्सन-3) तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। इसकी किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो एजेन्सी पर जबरन वसूली का IPC धारा 383-389 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं ऐजेंसी को Blacklist कर दिया जाएगा।
- समस्त सेवाएँ पुरी बस स्टैंड से 07 किलोमीटर की परिधी (दायरा) में प्रदान करनी होगी।

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शपथ पत्र

	नाम	:	
	पिता का नाम	:	
	उम्र	:	
	निवासी	:	
	फर्म/संस्था	:	
l.	मैं		
	विद्यालय, पुरी	में अपनी	सेवाएँ देने हेतु निविदा भर रहा हूँ । मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि जेम पोर्टल पर निर्णय
	होने पर कर्मच	ारियों को	सप्लाई करने में प्रतिबद्ध हूँ ।
2.	मैं $L1$ में होने	पर न्यूनत	ाम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत पैरा ई- 1 के तहत कर्मचारियों को सष्टाई करूँगा । ऐसा
	नहीं करने की	स्थिति में	मुझे आगे 3 वर्ष हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जो मुझे मंजुर है।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर (संस्था का प्रमुख) प्रोपराइटर



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद्विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान) वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

दूरभाष/Tele: (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax: (0734) 2502253 E-mail: msrvvpujn@gmail.com, Web: www.msrvvp.ac.in

सत्र 2022-23 के लिए प्रतिष्ठान द्वारा संचालित श्रीजगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, पुरी में

सुरक्षा व्यवस्था (सिक्योरिटी गार्ड) हेतु निविदा प्रपत्र

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देय होगा। साथ ही ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रदेय है।

豖.	जनबल की श्रेणी	संख्या	इकाई का मासिक पारिश्रमिक	ईपीएफ दर (मासिक इकाई पारिश्रमिक का	ईएसाअई दर (मासिक इकाई द्र का	सेवा शुल्क मय उपरिव्यय एवं लाभ के	मासिक इकाई दर (कालम 4+5+6+7)	इकाई अतिरिक्त समय भत्ता दर प्रति घण्टा	कुल मासिक लागत (कालम 8×3)	सेवाकर %
1	2	3	4	13.61%)	4.75%)	7	8	9	10	11
1.	सुरक्षा गार्ड	01								

नोट:

- (1) एजेंसी को अनुबन्ध दिए जाने की स्थिति में एजेंसी तथा उसके कर्मचारी के बीच के मानक समझौते (नाम, पता, बैंक खाता एवं शुल्क) का विवरण प्रतिष्ठान को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। एजेंसी तथा उसके कर्मचारी के बीच के वास्तविक समझौते की प्रति भी प्रतिष्ठान को प्रेषित की जानी आवश्यक है। इसके बिना शर्तें पूरी नहीं होगी।
- (2) निविदा प्रपत्र में आप अथवा आपके द्वारा अधिकृत जिस व्यक्ति का छायाचित्र संलग्न किया जाएगा, वही व्यक्ति निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकता है।
- (3) उक्त प्रपत्र के सभी विवरण प्राप्त होने पर ही अनुबन्ध मान्य किया जाएगा।
- (4) भारत सरकार नियमानुसार/जेम पोर्टल द्वारा L1 मान्य किया जाएगा। एक से अधिक संस्थाओं को L1 करने पर सरकारी कागजात के आधार पर समिति को L1 घोषित करने का अधिकार होगा।
- (5) एजेंसी का प्रशासनिक व्यय / खर्च (प्रति कर्मचारी) को कालम 9 में अवश्य दिखाएँ।
- (6) पूर्व कार्य निष्पादन, कार्य रिकार्ड, कर्मचारियों को नियमित भुगतान, एजेंसी के विरूद्ध कर्मचारियों की शिकायत आदि पर भी सफल निविदाकार का चयन के समय विचार किया जायेगा।

दिनांक

फर्म के प्रोपराईटर के हस्ताक्षर नाम एवं पता